कार्यालय
परिषद् प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या: प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2018/1122 लखनऊ: दिनांक: 18-5-2018

:-कार्यालय ज्ञाप-:

प्राथमिक माध्यमिक उच्चतरीय शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2018-20 हेतु डिप्लोमा फार्मेसी उच्चतरीय शिक्षण संस्थाओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने से संबंधित प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता निरस्त प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2018 को आयोजित प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की बैठक में परिषद उपस्थित के विषय चर्चा हुई। विषय में सत्र 2018-20 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबंधित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/नवीनकरण/अतिरिक्त वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2018-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पत्र-1 में डिप्लोमा द्वारा फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा पत्रांक विवरण-विवरणी का निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"एप्लाइड लिंटिटिड द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विवरण के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2018-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2018-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्राप्त होने के पूर्व पीसीआई अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही की जाएगी।"

अतः निम्नानुसार उल्लिखित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विधा-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2018-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	अनुमोदन का पत्र	काउन्सिलिंग/प्रवेश परीक्षा द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1000	राजीव गान्धी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जमदाह, गोंडा, मुरादाबाद	विवरण इस प्रकार है	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- संस्था काउन्सिलिंग/एप्लाइड द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था द्वारा प्रदान अतिरिक्त शिक्षा परिषद शुल्क तथा अतिरिक्त शिक्षा परिषद विभिन्नकारी शुल्क तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं अर्थदण्ड का अनुपालन करेगी तथा पूरा निर्धारण राशि 2000 निर्धारित शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क सम्बद्धता हेतु रूपा 50,000/- परिषद, से अतिरिक्त फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रूपा- 40,000/- परिषद एवं रूपा 10 हजार से अतिरिक्त पाठ्यक्रमों (10 अतिरिक्त फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रूपा- 25,000/- परिषद शुल्क की धनराशि प्रत्येक/प्रत्येक से प्राप्त किया जायेगा। सम्बद्धता के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार एवं शासन द्वारा निर्गत शुल्क प्राप्त करने सम्बन्धित आदेशों होंगे, और अनुपालन फार्मेसी विभाग द्वारा अनिवार्य होगा। और निर्धारण राशि द्वारा सत्र, सत्र 2018-20 हेतु परिषद के पूर्वनिर्धारण किया जाता है, जो बाद में परिवर्तन नहीं लागू होगी।

Scanned by CamScanner

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned by CamScanner

कार्यालय,
[illegible] शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक- [illegible]/परिषद [illegible]/[illegible]/[illegible] दिनांक: दिसम्बर [illegible] 2020

-:कार्यालय ज्ञाप:-

[illegible] शिक्षा परिषद, [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

(डॉ. [illegible])
कार्यालय

पृष्ठांकन संख्या/[illegible]/2026/ [illegible] दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि-[illegible]/[illegible], [illegible], [illegible]।

(डॉ. [illegible])
[illegible]

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

आवश्यक,

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

संख्या:- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2021/9337 लखनऊ: दिनांक: [illegible]

सम्बद्धता आदेश

[illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, [illegible] के अधीन [illegible] सत्र 2021-22 से [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु दिनांक [illegible] को [illegible] सम्बद्धता समिति की बैठक [illegible] समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु [illegible] सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में शिक्षा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम [illegible] संस्था को सम्बद्धता प्रदान की जाती है:

संस्था का कोड एवं नाम : 1658-SANTOSH COLLEGE OF PHARMACY, JUNCTION ROAD KHURJA, BULANDSHAHAR

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	[illegible] फार्मेसी [illegible] द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

शर्तें

- ✓ [illegible] फार्मेसी [illegible] द्वारा निर्धारित की गयी फीस [illegible] पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा पर्यवेक्षक शिक्षा परिषद विनियमावली 1998, फार्मेसी विनियमावली 2018 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा पृथक निर्माण समिति द्वारा निर्धारित पृथक तौर पर [illegible] पाठ्यक्रमों हेतु रू0 [illegible] प्रतिवर्ष, [illegible] हेतु रू0 [illegible] प्रतिवर्ष एवं एक लाख [illegible] पाठ्यक्रमों (जो वर्तमान फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-[illegible] प्रतिवर्ष पृथक से प्रवेश [illegible] से लिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त [illegible] से पृथक के लाकर [illegible] शासनादेश लागू होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना अवश्यक होगा। यदि निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की गणना उसे लागू होगी।
- ✓ संस्था को [illegible] प्राविधिक शिक्षा [illegible] तथा उप कर्मचारियों, संस्थान [illegible] किया जाना, वेतनमान [illegible] का अनुपालन करना होगा।
- ✓ सीमा के अनुरूप प्रवेश पर्यवेक्षक परिषद द्वारा अवशिष्ट स्थानों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को पाठ्यक्रम पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को [illegible] से अनापत्ति मत हेतु अनुरोधन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी [illegible] निर्देशों एवं निर्देशन, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा समय समय पर निर्गत विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ [illegible] फार्मेसी पाठ्यक्रम की संख्या एआईसीटीई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्था में अपना [illegible] संस्था [illegible] होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी शासनादेश, निर्गत किया जाता है तो उसका प्रतिपालन संस्था को करना होगा।
- ✓

Scanned by CamScanner

[illegible] द्वारा [illegible] पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली में दिये गये पीसीआई के अनुसार प्रवेश का परिपत्र कार्यालय को [illegible] उत्तर प्रदेश की प्रवेश नियमावली के आधार पर ही अथवा राज्य स्तर पर होने प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

उत्तर प्रदेश लोक [illegible] हेतु निर्गत [illegible] का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, कोर्स, [illegible], [illegible], [illegible] किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

✓ छात्रों की शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के साथ रोजगार दिलाने के उद्देश्य से समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में संचालित संबंधित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण की तिथि से पश्चात आवश्यक भवन, आधिपत्र, भूमि-भवन, फर्नीचर, [illegible] इत्यादि का यदि कोई कमी पाई जाती अथवा पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त [illegible] किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की मान्यता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।

✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य [illegible] (पीसीआई, पीसीओआई, एनसीएचएमसीटी) के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

✓ मान्यता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ०सं०- प्रा०वि०प०परिषद/सम्बद्धता/2021/3838-4869 दिनांक: 03/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रबन्धक/निदेशक, SANTOSH COLLEGE OF PHARMACY, JUNCTION ROAD KHURJA, BULANDSHAHAR

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

Scanned by CamScanner